



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

/Fax- + 05966-220078
E-mail :- eenhranikhet@gmail.com

पत्रांक:- 827 / 10 C
सेवा में,

दिनांक: 14/05/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं० 8 बी०/यू.सी.पी./०6/८०/२०२२/एफ०सी० दिनांक 03.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	आपत्तिया	निराकरण
1	As per Part-II of the proposal, total numbers of trees are counted in the proposed diversion area are 5981 and as per submitted enumeration list total numbers of trees in proposed forest area are 7882. The concern DFO shall submit and upload the correct tree details.	कार्यवाही आपके स्तर से होनी है।
2	The User Agency shall upload a proper KML file of proposed diversion area.	संशोधित KML Online Part- I के Section-C में Upload कर दी गयी है।

अतः सादर अनुरोध है कि बिन्दु सं० - 01 में प्रस्ताव के पार्ट-II में पेड़ों की गिनती में संशोधन कर लगाई गयी आपत्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कर Portal में Online Upload करने की कृपा करें।

(Signature)
अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:-
प्रतिलिपि :-
प्रतिलिपि :-

/
अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दिनांक: / /2025

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:-
सेवा में,

/

दिनांक: 14/05/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय :-

जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :-

भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं० 8 बी०/यू.सी.पी./०६/८०/२०२२/एफ०सी० दिनांक ०३.०५.२०२५

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	आपत्तिया	निराकरण
1	As per Part-II of the proposal, total numbers of trees are counted in the proposed diversion area are 5981 and as per submitted enumeration list total numbers of trees in proposed forest area are 7882. The concern DFO shall submit and upload the correct tree details.	कार्यवाही आपके स्तर से होनी है।
2	The User Agency shall upload a proper KML file of proposed diversion area.	संशोधित KML Online Part- I के Section-C में Upload कर दी गयी है।

अतः सादर अनुरोध है कि बिन्दु सं० - 01 में प्रस्ताव के पार्ट- II में पेजों की गिनती में संशोधन कर लगाई गयी आपत्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कर Portal में Online Upload करने की कृपा करें।

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:- 827 / 10 C

दिनांक: 14/05/2025

प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:- 827/10C
सेवा में,

दिनांक: 14/05/2025

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

विषय :- जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार/पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र सं० 8 बी०/यू.सी.पी./06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 03.05.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में जनपद-अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 309ए किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग लो०नि०वि०, को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का विन्दुवार निराकरण निम्नवत् है।

क्र०सं०	आपत्तिया	निराकरण
1	As per Part-II of the proposal, total numbers of trees are counted in the proposed diversion area are 5981 and as per submitted enumeration list total numbers of trees in proposed forest area are 7882. The concern DFO shall submit and upload the correct tree details.	कार्यवाही आपके स्तर से होनी है।
2	The User Agency shall upload a proper KML file of proposed diversion area.	संशोधित KML Online Part- I के Section-C में Upload कर दी गयी है।

अतः सादर अनुरोध है कि बिन्दु सं० - 01 में प्रस्ताव के पार्ट-II में पेड़ों की गिनती में संशोधन कर लगाई गयी आपत्तियों का शीघ्रातिशीघ्र निराकरण कर Portal में Online Upload करने की कृपा करें।

efc

14/5/25

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

पत्रांक:- 827/10C

दिनांक: / /2025

प्रतिलिपि :-

अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

सहायक अभियन्ता, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

14/5/25

अधिशासी अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।